उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पाकुड़

(जिला समाज कल्याण)

अति अल्पकालीन निविदा

जिला मिनेरल फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT), पाकुड़ वित्तीय वर्ष 2019–20 में पाकुड़ जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखण्डों स्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों के नवीनीकरण एवं केन्द्र सुसज्जीकरण हेतु सामग्री यथा PVC Floor Matting, Interior Decoration with learning concept, White Board & Notice Board, Bamboo Fencing, Indoor Games toys, Outdoor Games, Bench Desk, Sleeping Zone, Mini- Library Rack, Learning Kits, Pre-School Dress, Kitchen Utensils and Curtain etc. के आपूर्ति हेतु मानक स्तर के कम्पनीयों/प्रमाणित बिक्रेताओं/उनके अधिकृत बिक्रेताओं से विभिन्न शर्त्तों के साथ मुहरबंद निविदा दिनांक 09.10.2019 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक जिला समाज कार्यालय, पाकुड़ में आमंत्रित की जाती है। निविदा स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक अथवा स्वयं निविदादाता या अन्य प्रतिनिधि जिला समाज कल्याण, कार्यालय में उक्त अवधि में 12:00 से 03:00 PM तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 09.10.2019 के अपराह्न 02:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में स्थानीय क्रय समिति, पाकुड़ के समक्ष निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा की अन्य शर्तें एवं सामग्रियों के Specification समाहरणालय, पाकुड़ के वेबसाईट WWW.Pakur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है अथवा जिला समाज कल्याण कार्यालय, पाकुड़ से प्राप्त किया जा सकता है।

उपायुक्त,
पाकुड़।

निविदा की अन्य शर्त्तें :–

1. इच्छुक निविदादाता का निविदा सीलबन्द एवं मोहरबंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्वयं निविदादाता या प्रतिनिधि के हाथों–हाथ में दिनांक 09.10.2019 पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, पाकुड़ में प्राप्त किया जायेगा।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. निविदादाता निविदा की शर्त्तें कार्यालय अवधि में जिला समाज कल्याण कार्यालय, पाकुड़ से प्राप्त कर सकते हैं।
4. प्राप्त निविदा दिनांक 09.10.19 के अपराह्न 02:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्थानीय क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
5. सभी दर प्रस्तावक द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जायेगी।
6. निविदादाता एक लिफाफे में साफ–साफ शब्दों में "Technical Bid" लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र डालेंगे एवं उसे सीलबंद तथा मोहरबंद किया जायेगा। साथ ही उस पर अपना नाम, पता, मोबाईल नं0, ई–मेल साफ–साफ लिखेंगे।
7. निविदादाता दूसरे लिफाफा में साफ–साफ में "Financial Bid" अंकित करेंगे। उक्त लिफाफे में सामग्री/उपकरण एवं सामग्रियों का दर, अधिष्ठापन एवं कर इत्यादि अलग–अलग क्रमांक के अनुसार अंकित करेंगे और उस लिफाफे को सीलबंद एवं मोहरबंद करेंगे। उस लिफाफे में दर के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। उक्त लिफाफे में निविदादाता अपना नाम, पता, मोबाईल नं0, ई–मेल साफ–साफ लिखेंगे। तत्पश्चात् दोनों लिफाफे को एक तीसरे

लिफाफा में डालकर सीलबंद मोहरबंद करेंगे तथा उस पर भी अपना नाम, पता, मोबाईल नं0 ई–मेल साफ–साफ लिखेंगे।

8. पहले तकनीकि बीड खोली जायेगी। तकनीकि रूप से सफल निविदादाताओं को सामग्रियों का समिति के समक्ष प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। तद्पोरान्त समिति के द्वारा सामग्रियों के मूल्यांकन के पश्चात् योग्य निविदादाताओं का ही "Financial Bid" खोला जायेगा। झारखण्ड राज्य के किसी जिला में इस प्रकार के उपस्करों के अनुभवी आपूर्त्तिकर्त्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. निविदादाता को सामग्रियों का नमूना निविदा खोलने के समय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही **PPT** के माध्यम से सामग्रीयों का प्रदर्शन कराना सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय प्रस्ताव में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के नवीकरण संबंधी एवं सामग्रियों का दर भी देना होगा।
10. निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन स्वयं करना होगा, जिसके लिए उन्हें अलग से मार्ग व्यय/परिवहन व्यय मान्य नहीं होगा।
11. निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी, किंतु आपूर्त्ति के पश्चात् और गुणवत्तायुक्त मानक स्तर का कार्य पाये जाने पर निविदादाता को राशि का भुगतान किया जायेगा। सामग्रियों की आपूर्त्ति समय पर नहीं करने अथवा निम्न स्तर का सामग्रियों की आपूर्त्ति करने पर संपूर्ण राशि का भुगतान रोकने या समानुपातिक कटौती करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

<u>तकनीकि लिफाफे के अन्दर</u> :–

1. तीन वर्ष का आयकर प्रमाण–पत्र (Assesment Year 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) आधार कार्ड, निबंधन प्रमाण–पत्र, GST , निबंधन प्रमाण–पत्र अघतन GST Return, चरित्र प्रमाण–पत्र, UCAN, PAN की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को 100/– रूपये का e-stamp Paper पर शपथ पत्र देना होगा कि :–
   क) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
   ख) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं रूगनावस्था में नहीं है।
   ग) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं का न्यायालय में कोई मामला या मुकदमा दर्ज नहीं है तथा उनके विरूद्ध कोई आरोप या जाँच लंबित नहीं है का शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   घ) निविदादाता द्वारा दी गई कम्पनी का झारखण्ड राज्य में अधिकृत प्रतिष्ठान, बिक्रेता एवं स्वयं निर्माता कम्पनी का कार्यालय होने का शपथ–पत्र देना होगा। कम्पनियों/प्रमाणित बिक्रेताओं/उनके अधिकृत बिक्रेताओं को Valid Registration of Shop & Establishment प्रमाण–पत्र देना होगा।
3. आंगनबाड़ी केन्द्र भवन नवीनीकरण एवं आपूर्त्ति किये जाने वाली सामग्रियों का कम्पनी नाम/वारंटी/गारंटी प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को किसी भी विभाग द्वारा आपूर्ति की गई उपस्कारों का आदेश संलग्न करना होगा।
5. झारखण्ड राज्य के बाहर के निविदादाता निविदा में भाग लेते हैं तो उन्हें झारखण्ड राज्य का GST प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
6. निविदा के साथ 25,000 (पचीस हजार) रूपये का अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, पाकुड़ के नाम से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिन निविदादाताओं का निविदा अस्वीकृत होगा उन्हें एक माह के अन्दर बैंक ड्रफ्ट वापस कर दिया जाएगा तथा सफल निविदादाता की अग्रधन राशि कार्य पूर्ण होने तक सुरक्षित रखी जाएगी।

7. निविदादाता का फर्म MSME से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा :–

1. सामग्रियों का दर सभी कर एवं अधिष्ठापन सहित देना होगा, जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
2. सामग्रियों का अधिष्ठापन पाकुड़ जिला के आँगनबाड़ी केन्द्रों में करना होगा। इसके लिए अलग से कोई अधिभार देय नहीं होगा।
3. भुगतान हेतु 03 प्रतियों में विपत्र देना होगा।
4. तकनिकि निविदा में संलग्न प्रपत्र की सूची (Index) पेज नं0 के साथ देना अनिवार्य होगा एवं सभी प्रपत्र स्व0 अभिप्रमाणित होना चाहिए।
5. किसी भी वैधानिक मामले के निष्पादन हेतु पाकुड़ न्यायालय होगा।
6. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सूरक्षित रहेगा तथा इसके लिए कोई सूचना अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक........................../जि0स0क0 दिनांक.....................................

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न निविदा को पाकुड़ जिला के वेबसाईट WWW.Pakur.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।
2. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।
3. उप विकास आयुक्त, पाकुड़/सिविल सर्जन, पाकुड़/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
पाकुड़।